कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3507/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 29/04/2020

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) के परिपत्र क्रमांक 189/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-30/2020/DM-1(A) तथा 16.04.2020 के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्टमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुये निर्देश जारी किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/एडवायजरी के अधीन रहते हुये रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर सुबह 07:00 AM बजे से सुबह 10:00 AM प्रतिदिन टॉयर–ट्यूब की दुकाने संचालित किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :–

शर्तें :–

1. फर्म/संस्थान पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. दुकान/संस्थान में न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे, जिन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दुकान/संस्थान में आने वाले क्रेतागण को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
3. शासन के दिशा–निर्देशानुसा Physical/Social Distancing का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/संस्थान में हाथ धोने एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
5. भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश /एडवायजरी/आदेश का पालन बंधनकारी होगा।
6. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित फर्म के संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
7. उपरोक्त शर्तों तथा शासन के दिशा–निर्देश/एडवायजरी/आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने पर भा0द0सं0 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
8. भविष्य में यदि इस जिले को हॉट–स्पॉट घोषित की जाती है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 3507–ए /न्या.लि./कोरोना/2020 रायगढ़, दिनांक 29/04/2020

प्रतिलिपि : –

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर

––की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5. पुलिस अधीक्षक, जिला–रायगढ़

क्रमशः.......02

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
7. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला रायगढ़
8. वाणिज्यिक कर अधिकारी जिला रायगढ़
9. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिल रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला रायगढ़

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला रायगढ़ को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
12. सर्व संबंधित फर्म टॉयर–ट्यूब विक्रेता जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Covid-19